

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 234 / 29-1-(1) देहरादून दिनांक 08 अगस्त, 2022,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी।

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या- 594-595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबाग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमानना वाद संख्या-849- 850/2021 पृथ्वी सिंह राण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कर्स एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संघ व अन्य के संबंध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक- 203/29-1-(1) दिनांक 03.08.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमाननावाद संख्या- 594-595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबाग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमाननावाद संख्या- 849-850/2021 पृथ्वी सिंह राणा, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कर्स एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अवमानना वादों में दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन इस कार्यालय के उक्त पत्र द्वारा जारी प्रपत्र में सूचना एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को भेजने हेतु लिखा गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जो कार्मिक किसी भी संघ की सदस्यता नहीं रखते हैं के आवेदन भी पूर्ण विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र (जो www.forest.uk.gov.in वेबसाइट पर भी अपलोड किया है) पर प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर ई-मेल/लौटती डाक से शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित समान प्रकृति के कोई दैनिक श्रमिक आदेशों के अनुपालन से वांचित न रह जाय।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

पत्रांक 234 / 29-1-(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि मा0 न्यायालय को अनुपालन से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

I.T.G.C.
कृ. कपलेश मल
28/8/22